न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 222 / 2024

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
1. सुन्दरदेवी पत्नी मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी ठोकर ढाणी, बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित

दिनांक –18/12/2024

–: निर्णय :–

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बगड़ी चक द्वितीय, पटवार हल्का बगड़ी चक द्वितीय, भू.अ.नि.क्षेत्र बगड़ी तहसील सोजत में प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, जिसके खाता संख्या 888 खसरा संख्या 3122 / 2 रकबा 0.5180 हैक्टर कुल खसरा 01 कुल रकबा 0. 5180 हैक्टर है, उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम सुन्दरीदेवी पत्नी मोहनलाल अंकित है, जबकि प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम सुन्दरदेवी पत्नी मोहनलाल है। प्रार्थीया के तमाम दस्तावेजात वोटर आई0 डी0 कार्ड, पैन कार्ड, जन–आधार कार्ड, आधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड, वाहन की आर.सी., ड्राईवींग लाईसेंस, बैंक पास बुक, परिवार राशनकार्ड में सुन्दरदेवी पत्नी मोहनलाल ही अंकित है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को अन्य सरकारी योजनाओं से मेहरूम होना पड़ रहा है, साथ ही प्रार्थीया को अन्य राजस्व कार्यों में भी बाधा / अडचन कारित हो रही है, ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम सुन्दरीदेवी पत्नी मोहनलाल के स्थान पर सुन्दरदेवी पत्नी मोहनलाल अंकित करवाये। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत कर उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम सुन्दरीदेवी पत्नी मोहनलाल के स्थान पर सुन्दर देवी पत्नी मोहनलाल दुरूस्त कर शुद्धि किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा बगड़ी चक द्वितीय में स्थित होना, पैरा सं0 2 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 3 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

इस संबंध में तहसीलदार सोजत से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक / राजस्व / 2024 / 1842 दिनांक 18.12.2024 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

प्रार्थीया के तमाम दस्तावेजों तथा उपस्थित मौतबिरानों से पूछताज में सही पाये जाने पर प्रार्थीया का नाम सुन्दर देवी दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा बगड़ी चक द्वितीय तहसील सोजत में खाता संख्या 888 खसरा संख्या 3122/2 रकबा 0.5180 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम सुन्दरीदेवी पत्नी मोहनलाल के स्थान पर सुन्दरदेवी पत्नी मोहनलाल दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईस्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, इत्यादि का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट से प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम सुन्दरीदेवी नहीं होकर सुन्दरदेवी होने की संपुष्टि होती है। जिससे प्रार्थित भूमि में दर्ज नाम सुन्दरीदेवी के स्थान पर प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम सुन्दरदेवी दुरूस्त रूप से इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बगड़ी चक द्वितीय, पटवार हल्का बगड़ी चक द्वितीय, भू.अ.नि.क्षेत्र बगड़ी तहसील सोजत में खाता संख्या 888 खसरा संख्या 3122/2 रकबा 0.5180 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम सुन्दरीदेवी पत्नी मोहनलाल के स्थान पर सुन्दरदेवी पत्नी मोहनलाल दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 18/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत